न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)
राष्ट्रीय लोक अदालत स्थान सुजानगढ़ दिनांक 13.07.2024

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या : 52 / 2024
निर्णय दिनांक : 13.07.2024
जीसीएमएस संख्या– 2024 / 113

दायर दिनांक – 13.05.2024

1. बिमला दवी पत्नी सावंरमल पुत्री नारायणराम जाति मेघवाल निवासीनी ग्राम धातरी तहसील सुजानगढ जिला चूरू
2. रूकमा देवी पत्नी किशनलाल मेघवाल पुत्री नारायणराम जाति मेघवाल, निवासीनी ग्राम धातरी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

................प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

................अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित :–

1. प्रार्थीनी स्वयं उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 02 पेरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ग्राम धातरी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के निवासीनी है जिनके रोही ग्राम धातरी तहसील सुजानगढ़ में खेत खाता संख्या 213 के खसरा संख्या 167 रकबा 1.4415 हैक्टेयर, खसरा संख्या 168 रकबा 3. 2371, खसरा संख्या 411 रकबा 2.0990 हैक्टेयर व खसरा संख्या 417 रकबा 11.039 हैक्टेयर खातेदारी में दर्ज स्थित है। प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में काली पुत्री नारायणराम व रूकमणी पुत्री नारायणराम दर्ज है जबकि प्रार्थीगण के अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, परिवार का राशन कार्ड, बैंक की पासबुक, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र आदि में बिमला पुत्री नारायणराम व रूकमा पुत्री नारायणराम दर्ज है।

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

अध्यक्ष
लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण प्रार्थी को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि में प्रार्थी का नाम दुरस्त करवाना प्रार्थी के लिए आवश्यक है।

प्रार्थीगण का खेत रोही धातरी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में होने के कारण प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार श्रीमान् को प्राप्त है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के दस्तोवजों में नाम बिमला पुत्री नारायणराम व रूकमा पुत्री नारायणराम दर्ज है। काली व बिमला तथा रूकमा व रूकमणी दोनों एक ही महिला के नाम है।अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में बिमला पुत्री नारायणराम व रूकमा पुत्री नारायणराम किया जाना उचित है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, परिवार का राशन कार्ड, बैंक की पासबुक, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजात में भी प्रार्थी का नाम बिमला पुत्री नारायणराम व रूकमा पुत्री नारायणराम अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी राष्ट्रीय लोक अदालत में स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि वाके रोही गोपालपुरा खेत खाता संख्या 213 के खसरा संख्या 167 रकबा 1.4415 हैक्टेयर, खसरा संख्या 168 रकबा 3.2371, खसरा संख्या 411 रकबा 2.0990 हैक्टेयर व खसरा संख्या 417 रकबा 11.039 खातेदारी में तहसील सुजानगढ़ में दर्ज खातेदार काली पुत्री नारायणराम के स्थान पर बिमला पुत्री नारायणराम व रूकमणी पुत्री नारायणराम के स्थान पर रूकमा पुत्री नारायणराम दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो ।

निर्णय आज दिनांक 13.07.2024 को टंकित करवाया जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

अध्यक्ष
लोक अदालत
सुजानगढ़

पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

रेवन्यू अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़